डीजी–परिपत्र संख्या–28 / 2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अगस्त 26 ,2020

विषयः–पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि अभिरक्षा में लिए गये व्यक्ति को चाहे वह जघन्यतम् अपराध से ही सम्बन्धित अभियुक्त क्यो न हो जीवित व सुरक्षित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस का वैधानिक दायित्व है। परन्तु यदा–कदा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आते रहते है इनमें से कुछ प्रकरणो में पुलिस के द्वारा मारपीट एवं शारीरिक प्रताड़ना के कारण मृत्यु करने का आरोप लगाया जाता है तथा कुछ प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा में एवं हवालात में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना होती है।

शासनादेश संख्या 2186 ध/6–पु0–4–17–1(12 बी/2015) दिनांक 01.8.2017
शासनादेश संख्या 4544 ध–6–पु0–4–2017–1 (12बी/2015)दिनांक 12.2.2018
शासनादेश संख्या बीआई 67/6–पु0–9–14 दिनांक 2.12.2014
शासनादेश संख्या एम–54/8–मा0–1–14–3(395)/2014 दिनांक 20.6.2014
शासनादेश संख्या 361 पीआर/8–मा0–1/06 –44(विविधि/06 दिनांक 24.8.2006
शासनादेश संख्या 943/6–पु0–15–1997 दिनांक 30.4.1997
डीजी परिपत्र डीजी–मा0प0(1)/2006 दिनांक 09.12.2014
डीजी परिपत्र संख्याः– डीजी–मा0प0(निर्देश)/2010 दिनांक 09.2.2010
डीजी परिपत्र संख्याः–40/09 दिनांक 13.8.2009
डीजी परिपत्र संख्याः– डीजी–मा0प0(1)/2006 दिनांक 15.9.2006
डीजी परिपत्र संख्याः–1/06 दिनांक 4.01.2006
डीजी परिपत्र संख्याः–07/97 दिनांक 29.3.1997
डीजी परिपत्र संख्याः–15/97 दिनांक 26.9.1997
डीजी परिपत्र संख्याः–79/2013 दिनांक 13.12.2013
डीजी परिपत्र संख्याः–23/13 दिनांक 29.5.2013
डीजी परिपत्र संख्याः–18/13 दिनांक 04.5.2013
डीजी परिपत्र संख्याः–105/08 दिनांक 22.11.2008
डीजी परिपत्र संख्याः–93/08 दिनांक 07.9.2008
डीजी परिपत्र संख्याः–25/92 दिनांक 06.4.1992
डीजी परिपत्र संख्याः–मा0प0–10–2005 दिनांक 9.5.2005
डीजी परिपत्र संख्याः–20/05 दिनांक 16.4.2005
डीजी परिपत्र संख्याः–19/06 दिनांक 08.6.2006
डीजी परिपत्र संख्याः–37/08 दिनांक 07.8.2008
डीजी परिपत्र संख्याः–15/10 दिनांक 25.4.2010
डीजी परिपत्र संख्याः–10/18 दिनांक 17.3.2018
डीजी परिपत्र संख्याः–50/18 दिनांक 13.9.2018

पुलिस अभिरक्षा में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है चाहे वह आत्महत्या ही क्यो न हो ऐसे मामलों में पुलिस के विरूद्व आरोप लगाये जाते है। यह भी देखा गया है कि अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अक्सर शान्ति व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी घटनाओं से पूरे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। इन घटनाओं की वजह से जनमानस में पुलिस के बारे में एक अमानवीय एवं निर्दयी होने की छवि उभरती है जो सैकड़ो सराहनीय कार्यो को धूमिल कर देती है। ऐसी घटनाओं से प्रायः कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण हत्या जैसे संगीन अपराध के दोषी बन जाते है और उन्हें वैधानिक कार्यवाही का प्रतिफल भी भुगतना पड़ता है।

ऐसी घटनाए प्रत्येक दशा में चिंता का विषय है अतः इसके निराकरण हेतु हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। मा0 सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय / राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये है, जो पार्श्वाकित हैं अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये हैं।

पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या 1255 / 1999 में पारित निर्णय दिनॉकित 23.09.2014 में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्याः22 / 2017 दिनॉक 01.08.2017 अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Scanned by CamScanner

ऐसा प्रतीत होता है कि इन आदेशों /निर्देशों का आप सभी के स्तर से कड़ाई से अनुपालन किया /कराया नही जा रहा है जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटित होती है। इस प्रकार की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियो के विरूद्व नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए साथ ही पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हवालात का निरीक्षण कर देख लिया जाए कि हवालात में कोई ऐसी वस्तु, साधन उपलब्ध नही है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने में सहायक हो सके । पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणो की रोकथाम हेतु आपके मार्गदर्शन हेतु, अनुपालनार्थ कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है जो निम्नवत है:–

- पंजीकृत अभियोग की सूचना 24 घण्टे के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाये तथा चिकित्सक द्वारा शव का परीक्षण कराते समय वीडियोग्राफी करायी जाए तथा वीडियो कैसेट को अवलोकन हेतु राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग को प्रेषित किया जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, अभियुक्तों के गायब होने तथा महिला के साथ बलात्कार होने की दशा में न्यायिक जॉच हेतु दण्ड प्रकिया संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा धारा 176(1)क जोड़ी गयी है जो निम्नवत है:–

  176(1)–क जब

  (क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

  (ख) किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,

  तो उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी जॉच या किये गये अन्वेषण के अतिरिक्त यथास्थिति, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जॉच की जायेगी। दण्ड प्रकिया संहिता की उपरोक्त व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरणों में घटना के 02 माह के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यायिक/मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आदि भेजी जाए एवं पुलिस प्राधिकारियों को पोस्टमार्टम के तत्काल बाद शीघ्रता से अधिकतम एक सप्ताह के भीतर विसरा परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के निर्देश उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एम–67(1/6–मा0–1–09–38(विविध)2009 दिनांक 19.1.2010 एवं मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–मा–प्र0(निर्देश)2010 दिनांक 9.2.2010 द्वारा निर्गत किये गये है, का अनुपालन किया जाए।
- अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं हवालात में दाखिल करते समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0बसु बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल के निर्णय में दिये गये आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- किसी भी दशा में मानवाधिकारों का उल्लघंन न किया जाए।
- कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से किसी भी दशा में हवालात में न रखा जाए।

Scanned by CamScanner

- हवालात में यदि कोई रोशन दान हो तो इतनी उँचाई पर होना चाहिए जहॉ कोई व्यक्ति न पहुच सके यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि रोशन दान के अन्दर की तरफ से लोहे की मजबूत जाली लगा दी जाए जिससे डोरी रस्सी आदि न जा सके।
- हवालात में किसी भी दशा में अन्दर बिजली का स्विच अथवा अन्य विघुत उपकरण नही होना चाहिए।
- थाना हवालात में प्रकाश की, हवालात के बाहर से इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि हवालात के अन्दर विशेषकर रात्रि के समय हमेशा उजाला रहे।
- शौचालय आदि के दरवाजे इस प्रकार हो कि जहॉ से किसी प्रकार भी लटकने की व्यवस्था न हो। दरवाजा आधे कटवा दिया जाए। शौचालय के दीवार की उचाई 4 फीट से अधिक न हो जहॉ से खड़ा व्यक्ति दिखायी दे सके।
- कार्यालय स्टाफ से एक कर्मचारी को केवल बन्दी निगरानी हेतु रखा जाए ।
- बन्दी यदि घायल हो तो उसका भली–भॉति उपचार व मेडिकल अवश्य कराया जाए।
- हवालात में अभियुक्त को दाखित करते समय विवेचक तथा दिवसाधिकारी उसकी भली–भांति जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर लें कि अभियुक्त के पास कोई डोरी, रस्सी, तार, गमछा, माचिस, मिट्टी का तेल, डन्डा, ब्लेड या मादक व विषैला पदार्थ न हो जो आत्महत्या में सहायक हो।
- हवालात में बन्द किये गये अभियुक्त से जबभी कोई मिलने आये तो उसे दिवसाधिकारी/सन्तरी अपनी देख–रेख में मिलने दे ताकि व उसे माचिस, ब्लेड, चाकू, रस्सी, मादक, विषैला पदार्थ न दे सके जो आत्महत्या में सहायक बने।
- पुलिस रेगुलेशन के पैरा 62 के अनुसार सन्तरी ड्युटी के अन्तर्गत हवालात में बन्द कैदियों की देख–रेख थाने की तिजोरी, मालखाने की सम्पत्ति की सुरक्षा करने का प्रावधान है अतः सन्तरी को उपरोक्त के साथ–साथ बीच–बीच में 15 मिनट के अन्तराल में घूम–घूम कर अभियुक्तों की देख–रेख करते रहे। यदि किसी कैदी की असमान्य दशा होती है तो तत्काल थाने की दिवसाधिकारी के संज्ञान में लायेगे। साथ ही साथ पहरा परिवर्तन करते समय कैदियों को ध्यान पूर्वक देखकर पहरा परिवर्तन करेगे।
- सन्तरी ड्युटी पर पुलिसकर्मी की ड्युटी लगाते समय उनको थानाध्यक्ष/हेड मोहर्रिर एवं उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में भली–भॉति ब्रीफ कर दिया जाए।
- उपरोक्त सावधानियॉ बरतने के बाद भी यदि हवालात में मौजूद अभियुक्त की हालात खराब हो जाये या मरणासन्न हो जाए तो तुरन्त उसे चिकित्सा हेतु अस्पताल ले जाया जाए यथा सम्भव इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी करा ली जाए, उसकी किसी भी दशा में चिकित्सा में विलम्ब न किया जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये अभियोगो की विवेचना पूरी निष्पक्षता से स्वतन्त्र एजेन्सी से करायी जाए।
- हवालात में होने वाले उपरोक्त कार्यो को क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाए।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियॉ उत्पन्न हो सकती है जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

Scanned by CamScanner

मै चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं एवं पूर्व में निर्गत निर्देशों का आप स्वंय गम्भीरता से अध्ययन कर ले । एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दे तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दे कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते, तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकों सहित

भवदीय,

26/8/20

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner